बाल संरक्षण समिति करेगी बच्चों की देखभाल

लाइफ रिपोर्टर @ पटना

बच्चों की सुरक्षा हो, इसके लिए कई कानून बनाये गये हैं. पर जानकारी के अभाव में बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. इससे वे अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं. ऐसे में अब बच्चों की समुचित देखभाल के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से बाल संरक्षण समिति का गठन किया [illegible] ब्लॉक, पंचायत और वार्ड स्तर पर किया जाना है. तीनों स्तर पर बच्चों की सुरक्षा समिति के जिम्मे होगी. तीनों में अलग-अलग सदस्य होंगे. ब्लॉक स्तर की समिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ और शिक्षक समिति के सदस्य होंगे.

बने नोडल पदाधिकारी : इनकी मॉनीटरिंग का काम एडिशनल डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन के [illegible] पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है. इसमें कानूनी सलाहकार के रूप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन नोडल पदाधिकारी काम करेंगे. बीते वर्ष इसे यूनिसेफ की ओर से बिहार के तीन जिले वैशाली, किशनगंज और कटिहार में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. कार्यक्रम की सफलता के बाद इसका गठन सभी जिले के ब्लॉक, [illegible]

ये होंगे काम

समिति का काम न केवल बच्चों की सूचना एकत्रित करना है, बल्कि बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक भी करना है. बच्चों से जुड़े मुद्दों को उठाना, बाल विवाह, बालश्रम आदि को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाना है. इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना है.